कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी : (आर0टी0आई) : निदेशक (राजस्व)
कमरा न0 413 : वरुणालय फेज –।। : करोल बाग नई दिल्ली –110005
इस आदेश के अवलोनार्थ दिल्ली जल बोर्ड की बेवसाईट
www.delhijalboard.nic.in

1332 30

क्रमांकः दि0ज0बो0 / प्र0अ0अ0(आर0टी0आई)अपील न0 1440 / 2015 / दिनांकः 27.11.2015

कु0 गीता अरोड़ा,
चैम्बर न0 31, ट्रैज़री गेट,
तीस हजारी कोर्ट,
दिल्ली–110054.

संयुक्त निदेशक (राजस्व)उ0 / उ0पू0

आदेश

इस आदेश द्वारा कु0 गीता अरोड़ा, के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अधीन प्रस्तुत अपील दिनांक 01–09–2015 का निपटान किया गया।

दिनांक 27.11.2015 को अपील की सुनवाई की गई । नियत समयानुसार अपीलकर्त्ता कु0 गीता अरोड़ा, उपस्थित हुई एवं श्री रजिन्द्र सिंह, क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (उ0पू0)–।, जी0टी0 रोड, शाहदरा जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के रुप में उपस्थित हुए ।

प्रस्तुत अपील से पहले दिनांक 06.07.2015 को अपीलकर्त्ता ने जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में एक प्रार्थनापत्र दिया था, जिस पर उचित कार्यवाही नहीं होने के कारण यह अपील दिनांक 01.09.2015 को दायर की ।

आर0 टी0 आई0 की अपील का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि सहायक जनसूचना अधिकारी / जनसूचना अधिकारीं ने आर0 टी0 आई0 के प्रार्थनापत्र का उत्तर दिया है किन्तु अपीलकर्ता ने बताया कि अधिकारी ने गलत सूचना प्रदान की । प्रश्न संख्या 3, 7 और 10 का जवाब सही नहीं दिया गया है । सहायक जनसूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता की शिकायत की पुनः जांच की जाए और सही उत्तर इस आदेश के पारित होने के पॉच दिन के अन्दर अपीलकर्ता को प्रदान किया जाए ।

यह सूचना थर्ड पार्टी से सम्बन्धित थी और सहायक जनसूचना अधिकारीं ने उत्तर प्रदान करने में आर0टी0आई0 एक्ट के नियमों के अन्तर्गत थर्ड पार्टी सम्बन्धित प्रकिया का अनुपालन नहीं किया और थर्ड पार्टी सम्बन्धित सूचना अपीलकर्ता को प्रदान कर दी । अतः जनसूचना अधिकारी / सहायक जनसूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में आर0टी0आई0 एक्ट के नियमों के अन्तर्गत थर्ड पार्टी सम्बन्धित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए ही सूचना प्रदान करें । सहायक जनसूचना अधिकारीं ने बताया कि अपीलकर्ता और थर्ड पार्टी सम्बन्धित महिला का नाम एक होने के कारण यह गल्ती हुई ।

उपरोक्तानुसार अपील का निपटान किया गया ।

यदि अपीलकर्त्ता प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरान्त जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो अपीलकर्त्ता द्वितीय सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष निम्नलिखित पते पर अपनी अपील पुनः कर सकता हैं :–

केन्द्रीय सूचना आयोग,
द्वितीय तल, बी–विंग,
अगस्त कान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली– 110066

EXECUTIVE ENGINEER
DY. No. 6108
Date 1/12/15

ह0 / –
निधि श्रीवास्तव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. कु0 गीता अरोड़ा, चैम्बर न0 31, ट्रैज़री गेट, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली—110054.
2. उप निदेशक (राजस्व) उ0/उ0पू0
3. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (उ0पू0)— I, जी0टी0 रोड, शाहदरा ।
4. अधिशासी अभियन्ता (ई0डी0पी0), को दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाईट पर इस आदेश को डालने हेतु।

Nidhi

प्रथम अपीलीय अधिकारी